Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोयला उत्खनन परियोजना, रायगढ़ को रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत ग्राम औराईमुड़ा, ढोरम, कंचनपुर, रायकेरा, तहसील–घरघोड़ा में माईनिंग मशीनरी तथा अन्य उपकरणों एवं कोयला परिवहन के तहत् सड़क मार्ग के चौड़ीकरण हेतु 1.732 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

Date : 07 -1 .-2021

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–17/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/01/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) ।

विषयः– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for "Widening of the existing PMGSY road from the Village Salhepallli to Kotrimal, from Auraimuda to Teram and at Village Kanchanpur" area – 1.732 ha revenue forest in Raigarh Forest Division.

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–784 /1530, दिनांक 18.08.2020 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–754 /2119, दिनांक 27.11.2020 ।

––––00––––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईन्स लिमिटेड जिला रायगढ़ द्वारा ग्राम औराईमुड़ा, ढोरम, कंचनपुर, रायकेरा तहसील घरघोड़ा में माईनिंग मशीनरी तथा अन्य उपकरणों एवं कोयला परिवहन के तहत सड़क मार्ग के चौड़ीकरण कार्य हेतु रकबा 1.732 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 1 एवं 16 में राजस्व वनभूमि 1.732 हे. (कुल लंबाई 9.626 कि.मी) का विवरण दिया गया है तथा पृष्ठ क्रमांक 16 पर वनमंडलाधिकारी रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान दोनों के हस्ताक्षर है।	1 – 4
2	**बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक –FP/CG/ROAD/39744/2019 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि भू–प्रबंध प्रभाग के पत्र दिनाक 09.09.2019 के आधार पर की जाती है। वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा जानकारी दी गई है कि पंजीयन शुल्क रू. 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराया गया है। उक्त राशि कोषालय में चालान क्रमांक 14 दिनांक 13.04.2020 द्वारा जमा कर दिया गया है।	5 – 14
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा ग्राम औराईमुड़ा, ढोरम, कंचनपुर, रायकेरा, तहसील–घरघोड़ा में माईनिंग मशीनरी तथा अन्य उपकरणों एवं कोयला परिवहन के तहत सड़क मार्ग के चौड़ीकरण कार्य निर्माण कार्य हेतु 1.732 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	15

क्रमशः : 2

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित परियोजना में 13.728 हे. निजी भूमि तथा 5.515 हे. शासकीय गैर वन भूमि कुल 19.243 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	16
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर –** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	17
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	18 – 25
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 20 करोड़ रू. बतायी गई है। प्रपत्र – 4 में यह लेख किया गया है कि जब तक एम.जी.आर का निर्माण तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से कोयले को निकालने के लिये पूर्ण नही होता है तब तक कोयले के परिवहन में लगे ट्रको के आवागमन के लिये इस मार्ग की चौड़ीकरण की आवश्यकता है जिसमें 1.732 हे. राजस्व वन भूमि का प्रयोग किया जाना अपरिहार्य है। यह भी लेख किया गया है कि परियोजना के कारण किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होगा।	26 – 31
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** प्रस्ताव में संलग्न है।	32 –35
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	36
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है जो वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।	37
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है (प्रस्ताव पृ. क्र.–38)। इसके आधार पर यह सहमति व्यक्त की जाती है कि पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की इस प्रस्ताव में आवश्यकता नहीं है।	38 –51
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 223 वृक्षों का विदोहन किया जाना है जिनकी मार्किंग बुक सहित गोश्वारा दिया गया है।	52 – 62
13	**बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना 20 हे. से कम होने केारण कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	63
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में केवल राजस्व वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जिसका विवरण प्रस्ताव पृष्ठ 15 पर दिया गया है।	64
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्ताव में केवल राजस्व वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जिसका विवरण प्रस्ताव पृष्ठ 15 पर दिया गया है।	65

क्रमशः 3

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 1.732 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि ग्राम पुसल्दा, बैगाबहरी नारंगी वनखण्ड रकबा 25.00 हे. में से 3.464 हे. में 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस स्थल का संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिनांक 26.03.2020 के वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के निरीक्षण उपरांत जारी किया गया है जो मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के पत्र दिनांक 10.08.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। चूँकि दुगुने नारंगी वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है अतः आवेदक संस्थान से एक वचन पत्र भी प्राप्त किया गया है जिसमें उन्होंने प्रथम चरण की स्वीकृति उपरांत उक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र को अधिसूचित कराने के लिये कलेक्टर रायगढ़ की अनापत्ति उपलब्ध कराने का वचन पत्र दिया है। यह वचन पत्र भी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के पत्र दि. 10.08.2020 के संलग्न के रूप में प्रेषित है।	66 – 96
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** बिन्दु क्र. 16 अनुसार।	97
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	98
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** लागू नहीं।	99
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** लागू नहीं।	100
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** लागू नहीं।	101
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।	102
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।	103
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	104
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है।	105
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा आवेदित वन भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है तथा तत्पश्चात भाग–2 पर अन्य कोई विकल्प न होने के कारण प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रभावित वन का घनत्व 0.0 से 0.4 के मध्य है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ के सुझावों से सहमति व्यक्त की गई है तथा प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वनसंरक्षक, बिलासपुर वृत्त की निर्धारित प्रपत्र भाग–3 पर अनुशंसा उनके पत्र दिनांक 19.05.2020 से संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई है।	106 –111
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	112

क्रमशः : 4

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ढोरम, औराईमुंड़ा एवं कंचनपुर ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सरपंच रायकेरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	113 –116
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** रायगढ़ वनमंडल की कुल वन भूमि 152959.600 हे. है।	117
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** रायगढ़ वन मंडल में 57 प्रकरणों के लिए 3381.001 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	118 – 120
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 1 प्रकरण में 0.820 हे. वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।	121
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल का एवं परिक्षेत्राधिकारी तमनार का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	122
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	123
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2019 को जारी किया गया है। इस संबंध में अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 24.06.2019 को जारी की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी किये गये अंग्रेजी भाषा के प्रमाण पत्र में यह उल्लेख है कि प्रस्ताव में Primitive tribal groups and Pre-agrictulural communities के पहचान किये गये अधिकार सम्मिलित नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।	124 – 127
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2019 को जारी किया गया है प्रस्ताव में संलग्न है।	128
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र–** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र एवं गणना पत्रक संलग्न है।	129 – 130
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	131
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के टीप अनुसार प्रस्तावित स्थल की मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें हयूमस, लगभग सामान्य है इसलिए मृदा, वृक्षों / वनस्पत्तियों के लिए उपयुक्त है।	132
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	133

क्रमशः : 5

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	134
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।	135– 138
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** प्रस्ताव अनुसार आवश्यकता नहीं है। आनलाईन फार्म पार्ट–2 में वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा बिन्दु 8 पर उल्लेख किया गया है कि आवेदित वन क्षेत्र में कोई संकटापन्न, दुर्लभ, विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति / जंतु नहीं पाये जाते है।	139
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** आवश्यकता नहीं।	140
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।	141

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के website www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–17/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक/12/01/2021

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,
2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।
4.आवेदकर्तामुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली, कोयला उत्खनन परियोजना, लैलूंगा रोड, घरघोड़ा छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग